सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, गरूड़ परिक्षेत्र ग्राम माल्दे, नौघर, भकुनखोला, गढ़सेर, पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटेना, फुलवाड़ीगूँठ, मेलाडुंगरी एवं थान डंगोली, तहसील गरूड़, जिला बागेश्वर के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में गरूड़ ग्राम समूह पंम्पिग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.319 हे0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम (प्रयोक्ता एजेन्सी) परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
गरूड़
11/01/19

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील गरूड़,
जनपद–बागेश्वर

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील गरूड़
जनपद–बागेश्वर

(चन्दन सिंह टोलिया)
वन दरोगा/बैजनाथ

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गरूड़ (बागेश्वर)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो0 का निर्माण ।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

तहसील ....गरुड़.......... जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड मे ...गरुड़....... ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो0 के निर्माण हेतु ....कुल वन भूमि - 0.319 है0.... नाप भूमि - 0.049 है0 ...... वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दारा प्रत्यावरित आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विमोला, माल्दे, नौघर, भकुनखोला, गढसेर, पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटेना, फुलवाड़ीगूंठ, मेलाडुंगरी, थानडंगोली एवं .... द्वारा दिनाक 22.07.18 .... को सम्मपन ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी दारा आवेदित वन भूमि के सम्वन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तत चर्चा की गयी । यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नही । उपस्थित सभी ग्रामवासियों दारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा या कृषि कार्य नही किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतू आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो पा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा दारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम विमोला, माल्दे, नौघर, भकुनखोला, गढसेर, पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटेना, फुलवाड़ीगूंठ, मेलाडुंगरी, थानडंगोली .... के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत पाये वि० ख० गरुड़ (बागेश्वर)

दयाल गिरी गोस्वामी

प्रधान ग्राम पंचायत मटेना

प्रधान ग्राम पंचायत विमोला वि०ख० गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान ग्राम पंचायत मेलाडुंगरी थानडंगोली, वि०ख० गरुड़ जिला - बागेश्वर

ह0 /
ग्राम सचिव

ह0
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत थानडंगोली वि०ख० गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान ग्राम पचायत फुलवाड़ी–गूँठ बैजनाथ वि०ख0– गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान ग्राम पंचायत मटेना वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

प्रधान ग्राम पंचायत दर्शानी

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति दुारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा

प्रधान
श्रीमती कमला बिष्ट
ग्राम पचायत – माल्दे
वि ख – गरुड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर – अध्यक्ष
2. प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य
3. जिला पंचायत सदस्य ...भगवत सिंह डसीला... सदस्य खुनौली
4. जिला पंचायत सदस्य ...मनोज कुमार... सदस्य रनौली
5. जिला पंचायत सदस्य .... – सदस्य
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य/सचिव

आज दिनांक ...01/06/2019... को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहुत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेष्वर के प्रमाण पत्र दिनांक ...11/01/2019... द्वारा ...गरूड़... ग्राम सूह पंम्पिग पे0यो0 के लिये 0.319 हे0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा ...गरूड़... ग्राम समूह पे0यो0 स्थापित किये जाने हेतु वन भूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेष्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वन भूमि के स्वरूप को परविर्तन कर उत्तराखण्ड पेयजल निगम को गैर वानकीय कार्यो हेतु ...0.319... हे0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा ...गरूड़... ग्राम समूह पंम्पिग पे0यो0 के निर्माण हेतु उक्त...0.319 हैक्टेयर भूमि को उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गयी।

01/06/19

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

भगवतसिंह डसीला
सदस्य जि0पं0 खुनौली

मनोज कुमार
सदस्य जि0 पं0 रनौली

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत गरूड़ ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो0 का निर्माण ।

<u>जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र</u>

जनपद बागेश्वर के अन्तगर्त प्रस्तावित ......गरूड़...... ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो0 का निर्माण हेतू ..0.319.....हे0 वन भूमि ......पेयजल निगम बागेश्वर(प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतू प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 11.9/98 एफ0सी0 दिनाक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार प्रयोजनों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निमार्ण हेतू आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह व आदिकालीन कृषि समुदाय प्रभावित नही हो रहे है।

दिनांक

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - गरूड़

तहसील दार
गरूड़ - बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर
20/09/13

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उप जिलाधिकारी
गरूड़
जनपद-बागेश्वर (उ0 ख0)
7/09/13

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No---------------- *Dated*---------------

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) , Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA , for short) on the of forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of liner projects it is certified that 0.319 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Pey Jal Nigam, Bageshwar for GARUR G.O.V. Pumping Water Supply Scheme in Bageshwar district falls within jurisdiction of G.P. 1- Vimola, 2- Maldey 3- Naughar 4- Bhkunkhola 5- Gadser 6- Paye 7- Darshani 8- Silli 9- Matena 10- Fulwari Gunth 11- Mela Dungri 12- Than Dangoli villages(s) in **Garur** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.319 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... To annexure ....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal doses not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Signature

(Ranjana Rajguru)

Official seal of the District Collector

Bageshwar.

जिलाधिकारी

बागेश्वर

2.24

प्रपत्र–28

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत गरूड़ ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो0 का निर्माण ।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गरूड़ ग्राम समूह ग्रामीण पम्पिग पे0यो0 का निर्माण में ग्राम पंचायतो /वन पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत गढ़सेर
वि0ख0–गरुड़ (बागेश्वर)

दीपा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत दर्शानी/खडेरिया
वि0ख0 गरुड़, जि0–बागेश्वर

दयाल गिरी गोस्वामी
प्रधान
ग्राम पंचायत
वि0

अनिता देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत फुलवाड़ी–गूँठ बैजनाथ
वि0ख0– गरुड़ (बागेश्वर)

स्थानः–

दिनांकः–

प्रधान
ग्राम पंचायत मेलाडुंगरी
पो0 डंगोली, वि0ख0 गरुड़
जिला–बागेश्वर

ह0
ग्राम प्रधान/सरपंच
की मुहर

प्रधान
ग्राम पंचायत धानडंगोली

नोट– परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रधान
ग्राम पंचायत पाये
वि० ख० गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत सिल्ली
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

कमला बिष्ट
प्रधान
श्रीमती कमला बिष्ट
ग्राम पचायत – माल्दे
वि ख – गरूड़

प्रधान
ग्राम पंचायत
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्रा पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

2.24.1

वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

गरुड़ ग्रा० स० पम्पिंग पेयजल योजना के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है पेयजल योजना का निर्माण कार्य अति महत्वपूर्ण है अतः योजना के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर को हस्तान्तरित करने में कोई आपत्ती नहीं है।

स्थानः– ग्राम – सिल्ली

दिनांकः– 19.8.18

ह0 सरपंच वन पंचायत सिल्ली
की मुहर पो०/वि०ख० गरुड़

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित् की जाती है।

ह0 सरपंच
की मुहर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर –

1 कमला गोस्वामी
2 दान सिंह
3 दिपक गिरी
4
5
6
7

सरपंच
वन पंचायत फल्याटी गूठ बैजनाथ

सरपंच
वन पंचायत सिटोली
गरुड़ (बागेश्वर)

उमा
सरपंच
वन पंचायत पाये
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

कमल राम
सरपंच

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत गरूड़ ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो0 का निर्माण ।

दिनाक 22.07.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत प्रा०से० त्रिमोला, माल्दे, नौघर, मकुनखोला, गढ़सेर, दर्शानी सिल्ली, मटेना, फूलवाड़ीग्वठ, मेलाडूंगरी, एंव थान डंगोली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	मनीराम	[illegible]
3	अनिल कोहली	Anil Kohli
4	[illegible]	[illegible]
5	शिवराम	[illegible]
	दयाल सिंह [illegible]	[illegible]
	कुन्दन सिंह [illegible]	कुन्दन सिंह
	रुद्रराम	रुद्रराम
	राजेन्द्र कुमार	राजेन्द्र कुमार
	गणेश [illegible]	गणेश
	अंकित जोशी	Ankit
	गोपाल सिंह नेगी	
	आनन्दराम	आनन्दराम

1.6

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के अन्तर्गत गरूड़ ग्राम समूह पम्पिग पे0 यो0 का निर्माण ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, गरूड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

<u>उपखण्ड स्तरीय समिति– गरूड़</u>

उपखण्ड गरूड़, परिक्षेत्र ग्राम बिमौला, माल्दे, नौघर, भकुनखोला, गढ़सेर, पाये, दर्शानी, सिल्ली, मटेना, फुलवाड़ीगूँठ, मेलाडुंगरी एवं थान डंगोली, तहसील गरूड़, जिला बागेश्वर के अन्तर्गत (0.168 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.124 सिविल सोयम भूमि, 0.027 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.319 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरूड़) की दिनांक 11/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुन्दर सिंह ...., उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री सुन्दर सिंह	उपजिलाधिकारी 11/01/19	अध्यक्ष
2. श्री चन्दन सिंह टोलिया (प्रतिनिधि)	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3. श्री दिनेश चन्द्र लोहनी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. श्री	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद मुख्यालय बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ में गरूड़ ग्राम समूह पंम्पिग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.168 हे0 आरक्षित वन भूमि परियोजना हेतु 0.319 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार को कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

–क्रमशः–